

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -165/2023

अनवान : -

1. सुनीता पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

- वादीया

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र पूर्णराम जाति नाई निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. रामप्रताप पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 15.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स0 59/63 के खसरा न0 218 की 3.4150 हैक्ट, 219/1 की 1.1820 हैक्ट, 271/1 की 1.2200 हैक्ट, 272/1 की 1.4860 हैक्ट, 277/1 की 0.4050 हैक्ट, 44/2 की 5.9880 हैक्ट कुल 13.6960 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स0 59/63 के खसरा न0 218 की 3.4150 हैक्ट, 219/1 की 1.1820 हैक्ट, 271/1 की 1.2200 हैक्ट, 272/1 की 1.4860 हैक्ट, 277/1 की 0.4050 हैक्ट, 44/2 की 5.9880 हैक्ट कुल 13.6960 हैक्ट भूमि में से खसरा न0 271/1 की 1.2200 हैक्ट भूमि में से पश्चिम दिशा की 0.253 हैक्ट भूमि वादीया ने जरिये बैयनामा दिनांक 10.08.2010 को प्रतिवादी स0 1 देवीलाल पुत्र पूर्णराम से खरीद की थी तथा खरीद के समय से ही कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन भूमि बैंक रहने होने के कारण से वादीया के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाया।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की भूमि को रहन मुक्त करवा दे एवं वादीया के हिस्से को उसके नाम दर्ज करवा दे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 59/63 की कुल 13.6960 हैक्ट भूमि में से खसरा न0 271/1 के उत्तर पश्चिम दिशा की 0.253 हैक्ट भूमि प्रथम पक्षकार सुनीता पत्नी हवासिंह ने देवीलाल पुत्र पूर्णराम से जरिये बैयानामा खरीद की थी। हम पक्षकारों का आपसी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा सुनीता पत्नी हवासिंह अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज है तथा भूमि बाबत इन्कार का विवाद



नहीं है सुनीता पत्नी हवासिंह न्यायालय से डिक्री करवाकर अपनी खरीदशुदा भूमि को राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज करवाती है तो सभी पक्षकारान सहमत है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा आपसी राजीनामा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स0 59/63 के खसरा न0 218 की 3.4150 हैक्ट, 219/1 की 1.1820 हैक्ट, 271/1 की 1.2200 हैक्ट, 272/1 की 1.4860 हैक्ट, 277/1 की 0.4050 हैक्ट, 44/2 की 5.9880 हैक्ट कुल 13.6960 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स0 59/63 के खसरा न0 218 की 3.4150 हैक्ट, 219/1 की 1.1820 हैक्ट, 271/1 की 1.2200 हैक्ट, 272/1 की 1.4860 हैक्ट, 277/1 की 0.4050 हैक्ट, 44/2 की 5.9880 हैक्ट कुल 13.6960 हैक्ट भूमि में से खसरा न0 271/1 की 1.2200 हैक्ट भूमि में से उत्तरी पश्चिमी दिशा की 0.253 हैक्ट भूमि वादीया ने जरिये बैयनामा दिनांक 10.08.2010 को प्रतिवादी स0 1 देवीलाल पुत्र पूर्णराम से खरीद की हुई है। वाद वादी प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स0 59/63 के खसरा न0 218 की 3.4150 हैक्ट, 219/1 की 1.1820 हैक्ट, 271/1 की 1.2200 हैक्ट, 272/1 की 1.4860 हैक्ट, 277/1 की 0.4050 हैक्ट, 44/2 की 5.9880 हैक्ट कुल 13.6960 हैक्ट भूमि में से खसरा न0 271/1 की 1.2200 हैक्ट भूमि में से उत्तरी पश्चिमी दिशा की 0.253 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक...15/6/23...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट- बडबिराना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -165/2023

अनवान : -

1. सुनीता पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

- वादीया

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र पूर्णराम जाति नाई निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. रामप्रताप पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
राजस्व वाद संख्या 165 सन 2023 निर्णय दिनांक 15.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स0 59/63 के खसरा न0 218 की 3.4150 हैक्ट, 219/1 की 1.1820 हैक्ट, 271/1 की 1.2200 हैक्ट, 272/1 की 1.4860 हैक्ट, 277/1 की 0.4050 हैक्ट, 44/2 की 5.9880 हैक्ट कुल 13.6960 हैक्ट भूमि में से खसरा न0 271/1 की 1.2200 हैक्ट भूमि में से उत्तरी पश्चिमी दिशा की 0.253 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-बडबिराना